संख्या- 05 /2024/88/52-2-2024-02(1)/बजट/2020

प्रेषक,

मुमताज अहमद सिद्दीकी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 14 मार्च, 2024

विषय- निदेशालय के अधिष्ठान मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4635/अ0सं0क0नि0-52/लेखा-/2023-24, दिनांक 01.01.2024, जिसके द्वारा लेखाशीर्षक-2070-001-03 के मानक मद-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में उपलब्ध सम्भावित बचत रु० 50.00 लाख में से लेखाशीर्षक-"2070-001-03 के मानक मद-**15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद** मद में रू0 09.00 लाख तथा मानक मद-**49-चिकित्सा व्यय** मद में रु0 5.20 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 14.20 लाख को **बी0एम0-09 (आलेख के रूप में रक्षित है)** के माध्यम से पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशालय के अधिष्ठान मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

मानक मद-58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि रु० 50.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बचत की धनराशि रु० 50.00 लाख में से सुसंगत लेखाशीर्षक के मानक मद-15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि पर व्यय में रु० 09.00 लाख (रुपये नौ लाख मात्र) एवं मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में रु० 05.20 लाख (रुपये पांच लाख वीस हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रु० 14.20 लाख (रुपये चौदह लाख बीस हजार मात्र) का संलग्न बी0 एम-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम् शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
5. जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय-**15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद** एवं 49- **चिकित्सा व्यय** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आर.ई.संख्या-बजट-1-572, दिनांक 07.03.2024 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

भवदीय,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या-05 /2024/88(1)/52-2-2024-02(1)/बजट/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. वित्त(ई-4)अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1(02प्रतियोंमें)/नियोजन अनुभाग-3
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।